न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/130/2024 रजू दिनांकः 27.09.2024 रजि0 न0 2024/236

अपीलार्थीः–

श्री मानसिंह सैनी पुत्र श्री गंगाधर सैनी, खेरली वार्ड नं0–9, रेल्वे समूँची फाटक के पास, तहसील कठूमर, जिला अलवर (राज0)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय) ,अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 28.10.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 05.08.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 07.10.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये पत्र कमांक लो0सू0अधि0/प्रथम अपील/2024/1968 दिनांक 21.10.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रथम आवेदन दिनांक 05.08.2024 के परिपेक्ष्य में सूचना नहीं मिलने बाबत अवगत कराया है जिसके कम में प्रकरण में संबंधित अनुभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर कार्यालय के पूर्व पत्र सं0 लो.सू.अ./RTI/2024/1696 दिनांक 28.08.2024 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर वांछित सूचना (कुल 02 पुष्ठ) जरिये तहसीलदार कठूमर प्रेषित की जा चुकी है। तथापि प्रथम अपील के अनुसरण में पूर्व सूचना की छायाप्रति अपीलार्थी को पुनः भिजवाई जा रही है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रथम अपील आवेदन के संबंध में अपीलार्थी को संबंधित अनुभाग प्राप्त सूचना के आधार पर कार्यालय के पूर्व पत्र सं0 लो.सू.अ./RTI/2024/1696 दिनांक 28.08.2024 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर वांछित सूचना (कुल 02 पुष्ठ) जरिये तहसीलदार कठूमर प्रेषित की जा चुकी है। तथापि प्रत्यर्थी द्वारा जरिये प्रतिलिपि कमांक सम/1969 दिनांक 21.10.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय कर सूचना पुनः प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)